न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

राजस्व अपील संख्या 310 /2024 अनवान बुधाराम व अन्य बनाम परसराम वगैरा

दिनांक 20 .08.2024

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार (भू.अ.) बावडी, जिला जोधपुर द्वारा पारित आदेश कमांकःभू.अ./त0शु0/2023/1288 दिनांक ....(28.7.56) के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को कण्डोन करने हेतु मियाद अधि0 की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रा0प0 स्वीकार कर प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

वकील अपीलांट उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील अपीलांट द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अधीनस्थ कार्यालय के समक्ष अपीलार्थी–बुधाराम वगैरा द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तहसील बावड़ी स्थित ग्राम लवेरा कलां के खसरा नं0 1451/1, 1451/2, 1451/3, 1451/4, 1451/5, 1451/6, 1451/7 व 1451/9 की ऑन लाईन गलत तरमीम को मौका कब्जाकाश्त अनुसार सही करने का आग्रह किया गया। जिस पर हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं मौका रिपोर्ट के अनुसार तरमीम शुद्धि का आदेश उपरोक्त पारित किया गया। जिसमें धारा 131 व 136 आरएलआर एक्ट के प्रावधानों की अनदेखी की गई है। वादग्रस्त खसरान मूल ख0नं0 1451 के भाग है। जिनकी तरमीम शुद्धि की सहमति के बावजूद हल्का पटवारी द्वारा खसरा के माप व रकबा जमाबंदी में अंतर कर दिये से मौके पर फिर से विवाद उत्पन्न हो गया है। प्रकरण में मौके की जांच किए बिना ही नजरी नक्शें की तरह मौका रिपोर्ट तैयार कर दी गई है, जिससे जमाबंदी में दर्ज रकबा व नक्शें में की गई तरमीम के रकबे में अंतर हो गया है। अतः अपील स्वीकार कर, अपीलाधीन निरस्त कर प्रकरण में मौके की जांच व नाप करवाया जाकर तरमीम शुद्धि करवाये जाने हेतु उक्त प्रकरण प्रतिप्रेषित करने का आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। आलौच्य प्रकरण में प्रश्नगत आराजियात की तरमीम शुद्धि हेतु हल्का पटवारी लवेरा कलां की मौका रिपोर्ट दिनांक 19.6.23 में यद्यपि दोनो पक्षकारों के हस्ताक्षर/अंगूष्ठ निशान किए हुए है व अपीलाधीन आदेश भी उल्लेखित खसरान की तरमीम शुद्धि हल्का पटवारी की रिपोर्ट अनुसार किए जाने का है। किंतु वकील अपीलांट का कथन है कि तरमीम मौके अनुसार व रकबे अनुसार सही नही की गई है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर, तहसीलदार (भू.अ.) बावड़ी जिला जोधपुर का अपीलाधीन आदेश क्रमांकः 1288 दिनांक ....(28.7.56) निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ कार्यालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रकरण में उभय पक्ष की सुनवाई कर, राजस्व रेकर्ड अनुसार मौके की जांच व नाप करवाया जाकर तरमीम शुद्धि करवाये जाने हेतु विधिसम्मत आदेश करें।

उक्त अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर फैसल शुमार की जावे। अधीनस्थ न्यायालय/कार्यालय को निर्णय की सत्यप्रति से सूचित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 20 .08.2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

20/08/24

(अजीत सिंह राजावत)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त